


15/9/22

पत्रावली पेश हुनी। जाचीगिण व वकील जाची
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावनी गयी।
आवाज लगावने के उपरान्त भी जाचीगिण की कोठे
कोई उपस्थित नहीं आय। इस जाचीगिण का
जाची पत्र अदालत हाजरी अदालत पैरवी में खरीज
किया जाता है। पत्रावली जैलल शुम्भर होकर नम्बर
ले कर होकर दफ्तर दाखिल है।


(बृजेश कुमार)
सुपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)